

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)
बड़जलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

- मेहरचन्द पुत्र मूलचन्द जाति जाट निवासी कुशलपुरा तहसील नीमकाथाना, सीकर राज.।

-वादीगण

बनाम

- तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा व दुरुस्ती रिकार्ड

मुकदमा नं. 819 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस व हाजिरी वादी स्वयं मिनजानिब मुद्ई रुबरू मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम कुशलपुरा तहसील नीमकाथाना के खाता संख्या 51, 178 तथा ग्राम गोपालगढ के खाता संख्या 85 में वादीगण का गलत दर्ज नाम "मेहरचन्द, जयराम, मातादीन, सुभाष पुत्रगण मूला/मूलचन्द" के स्थान पर सही व वास्तविक नाम "मेहरचन्द, जयराम, मातादीन, सुभाष पुत्रगण मूला राम" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करें।

बसवत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 5 माह 12 सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर



दस्तखत

राजवीर सिंह यादव

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सवृत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरक गीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरक गीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फ्लोका का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. मेहचन्द पुत्र मूलचन्द जाति जाट निवासी कुशलपुरा तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर राज.।

- वादीगण

बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर 819/2025

जीसीएमएस नं० 2025/1546

आदेश

दिनांक- 4/12/2025

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम कुशलपुरा तहसील नीमकाथाना के खाता संख्या 51, 178 तथा तन ग्राम गोपालगढ तहसील नीमकाथाना के खाता संख्या 85 में वादीगण का गलत दर्ज नाम "मेहरचन्द, जयराम, मातादीन, सुभाष पुत्रगण मूला/मूलचन्द" के स्थान पर सही व वास्तविक नाम "मेहरचन्द, जयराम, मातादीन, सुभाष पुत्रगण मूला राम" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।



(राजवीर सिंह यादव)

उपखण्ड अधिकारी

नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव

उपखण्ड अधिकारी

नीमकाथाना (सीकर)